कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-63/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत,

पौडी गढवाल

विषय : जिला पंचायत, पौड़ी गढवाल का वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 01 प्रस्तर, भाग-4(ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN में शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरो की परिपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 65/2016-17/ दिनांक : /01/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को भाग-4 (ब)-1 के प्रस्तर संख्या 1 की एक प्रति।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2015-16 के लिये जिला पंचायत पौड़ी गढवाल पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

जिला पंचायत

श्री सोहन लाल गैरोला — अपर मुख्य अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस.के. वर्मा, स.ले.प.अ.
(ii) श्री के.एस चौहान, स.ले.प.अ.
(iii) श्री विशाल.कुमार. गुप्ता, स.ले.प.अ.
(vi) श्री दुष्यंत सिहं, लेखापरीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 15.11.2016 से 22.11.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2015 से 2016

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम: **जिला पंचायत, पौड़ी गढवाल**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-15

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : -

जनसंख्या :

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या: 42

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- बैठक: 06

5. कर्मचारियों की संख्या: 24

6. पंचायतराज की सम्पतियां: - दुकान, कार्यालय एवं अन्य भवन

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

z(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय: ` 1982.68 लाख

(अ) सामान्यः-

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया- हाँ

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत, पौड़ी गढवाल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015 से 2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के. वर्मा. स.ले.प.अ, श्री के.एस चौहान.स.ले.प.अ, श्री विशाल कुमार गुप्ता, स.ले.प.अ. तथा श्री दुष्यंत सिहं लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक15.11.2015 से 22.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

-अनिस्तारित-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**भाग-4 (ब)-I**	**भाग-4 (ब)-II**
83/2015-16	प्रस्तर -01	प्रस्तर 01से 07

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**	**प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 1:- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या–414(2)/2015/86(18)/2014 दिनांक 24.03.2015 के अनुसार ज़िला पंचायत पौड़ी में अध्यक्ष हेतु आवासीय भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई-

- उक्त भवन के निर्माण पर होने वाला व्यय ज़िला पंचायत अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेगी तथा शासन स्तर से कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा – निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- प्रस्ताव पर ज़िला पंचायत द्वारा बोर्ड की अनुमति प्राप्त की जाय।
- उक्त कार्य में मितव्ययिता का ध्यान रखा जाय।

उक्त भवन निर्माण हेतु ` 54.44 लाख की धनराशि का आगणन गठित कर दिनांक 13.11.2014 को अधीक्षण अभियंता, 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी (गड़वाल) से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उक्त भवन निर्माण हेतु ज़िला पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2015 को निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें केवल एक निविदा प्राप्त हुई, जिसे विभाग द्वारा दिनांक 27.5.2015 को खोला गया। खोली गई एकल निविदा विभागीय दर से 5.20 *प्रतिशत* न्यून थी, जिसे ज़िला पंचायत द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि एकल निविदा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पुन: दिनांक 04.06.2015 को निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें तीन निविदा प्राप्त हुई और न्यूनतम निविदादाता श्री जयदयाल सिंह पटवाल, निवासी पटवाल भवन कंडोलिया के साथ विभागीय दर पर दिनांक 21.08.2015 को अनुबंध गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार उक्त कार्य को दिनांक 25.05.2016 तक पूर्ण किया जाना था। उक्त निर्माण कार्य दिनांक 20.07.2016 को पूर्ण किया गया, जिसमें ` 53.30 लाख की धनराशि व्यय की गई।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली- 2008 एवं संशोधित दिनांक 15.06.2015 के नियम (33) (छः) एवं 58 के अनुसार ` 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्यो के संबंध में मैनुअल निविदा आमंत्रण के अंतर्गत प्रथम बार मे प्राप्त एकल निविदा नहीं खोली जाएगी परंतु यदि ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है तो प्रथम बार प्राप्त एकल निविदा को स्वीकार किया जा सकता है।

उपर्युक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु जब प्रथम निविदा आमंत्रित की गई थी तो केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई थी, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया। दूसरी बार निविदा आमंत्रित करने पर तीन निविदाएँ प्राप्त हुई जिसमे से न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया गया जो विभागीय दर पर थी तथा न्यूनतम निविदादाता से विभागीय दर पर अनुबंध गठित किया गया। इस प्रकार अनुचित प्रक्रिया अपनाने से विभाग को हुए नुकसान का विवरण निम्न प्रकार है-

अनुबंध की धनराशि	व्यय की गई धनराशि	5.20 प्रतिशत की दर से बचत की धनराशि
` 54.44 लाख	` 53.30 लाख	53.30*5.2% ` 2,77,160

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि प्रथम बार में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा अस्वीकार कर दी गई थी एवं ई-निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा को खोला नहीं जाना चाहिए था।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-1

प्रस्तर 1:- दुकान किराये तथा विभव एवं सम्पत्ति कर के रूप में ` 182.70 लाख की वसूली न किया जाना।

(क) ज़िला पंचायत की स्वामित्व वाली कुल 424 (173+251) दुकानों/भवनों को किराए पर दिया गया था, जिनसे किराए की वसूली की जा रही थी। 173 दुकानों के किराए की मांग-वसूली पंजिका के विस्तृत अवलोकन में पाया गया कि :

- मार्च 2016 के अंत तक कुल 127 बकाएदार थे जिनकी मांग ` 43,14,244 के सापेक्ष ` 16,09,534 की वसूली की गई थी तथा कुल ` 27,04,710 अवशेष बकाया था।
- इन बकाएदारों में से 64 ऐसे बकाएदार थे जिनसे वर्ष 2015-16 में कोई वसूली नहीं की गई थी।
- कुल 28 बकाएदार ऐसे थे, जो दुकानों/भवनों को रिक्त कर चुके थे तथा जिनसे ` 1,85,297 की वसूली की जानी शेष थी।

इसके अतिरिक्त, 251 दुकानों के किराए की मांग वसूली पंजिका के वर्षांत विवरण से स्पष्ट था कि मार्च 2016 के अंत तक कुल मांग ` 51,85,451 के सापेक्ष कुल ` 22,91,477 की वसूली की गई थी तथा ` 28,93,974 अवशेष बकाया था।

आगे, दिनांक 09.12.2015 की बोर्ड बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि करीब 35 किराएदारों पर पूर्व में ` 3,75,640 की धनराशि लंबित चली आ रही है। इनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है एवं कुछ बकाया धनराशि करीब 40 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इसमें उक्त धनराशि को बट्टा खाते में डालने का भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि इस प्रस्ताव को शासन को प्रेषित किया जाय जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया था।

(ख) ज़िला पंचायत क्षेत्र के 15 विकासखंडों एवं दो अन्य स्थानों पर कुल 14,721 ग्रामीण व्यवसायियों से वसूले जाने वाले विभव एवं सम्पत्ति कर की मांग-वसूली पंजिका के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की कुल मांग ` 1,37,67,590 के सापेक्ष मात्र ` 10,96,449 की ही वसूली की गई थी तथा वर्ष के अंत तक ` 1,26,71,141 की धनराशि बकाया थी।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण वसूली में कमी हुई है, शीघ्र ही भू-राजस्व के तहत वसूली की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस एवं आर.सी. जारी करने की कार्यवाही चल रही है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा तिथि तक न तो कोई नोटिस जारी की गई थी एवं न ही बोर्ड बैठक में बहुत पुराने बकाए को बट्टे खाते में डालने सम्बन्धी पारित निर्णय के संदर्भ में इकाई द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही की गई थी। उक्त धनराशि की वसूली न किए जाने से इकाई के निजी आय में अत्यधिक कमी हुई है।

अतः किरायों एवं करों के रूप में ` 182.70 लाख[1] की वसूली न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] दुकान किराया: ` 27,04,710 , दुकान किराया: ` 28,93,974तथा विभव एवं सम्पत्ति कर: ` 1,26,71,141;
योग: ` 1,82,69,825 (` 182.70 लाख)

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 2:- निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों से उपकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14-680 (श्रम)/2002 टी.सी.-II दिनांक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998" तथा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" के अंतर्गत अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरांत उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे: पेंशन, दुर्घटना, मुआवज़ा, मृत्योपरांत सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल-किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किए जाने हेतु प्रावधान निहित किए गए हैं।

- उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान था।
- उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी/ गैर-सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हों।
- शासन के पत्र दिनांक 10.04.2013 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के समस्त खंड विकास अधिकारी, मंडी परिषद के समस्त उप निदेशक (निर्माण) तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ताओं को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस संबंध में निर्माण कार्यों की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है।

उक्त के सम्बंध में निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों, व्ययकों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि ज़िला पंचायत द्वारा ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती नहीं की गई थी। जिसके कारण इस धनराशि को कल्याण बोर्ड निधि में जमा नहीं कराया गया था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में कटौती का प्रावधान किया जाएगा तदनुसार कटौती की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि शासनादेश जारी होने के दो वर्षों के उपरान्त भी इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 3:- ज़िला पंचायत पार्किंग स्थल के आवंटन में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं ज़िला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ज़िला पंचायत- पौड़ी गढ़वाल द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र नीलकंठ में पार्किंग ठेका शुल्क कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के निमित्त पूर्व पारित उपविधियों, जो उत्तर प्रदेश शासकीय गज़ट दिनांक 31.03.2012 को प्रख्यापित है, को संशोधित करते हुए अग्रसारित उपविधियाँ बनाई गई हैं:

उत्तराखंड गज़ट दिनांक 01.11.2014 के अनुसार, *(धनराशि ` में)*

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वर्तमान दरें (प्रति फेरा)	प्रस्तावित दरें (प्रति फेरा)
1.	मोटर साइकिल/ स्कूटर	10	20
2.	कार/ टैक्सी	25	40
3.	बड़े वाहन/ ट्रक/ बस	60	100

उपरोक्त के अनुपालन में ज़िला पंचायत द्वारा पार्किंग हेतु कराई गई नीलामी में प्राप्त दरों के आधार पर श्री नवीन अग्रवाल, ऊधमसिंह नगर को ` 19.51 लाख पर दिनांक 10.07.2014 से 31.03.2016 तक के लिए ठेका दिया गया था।

आगे, देखा गया कि पुनः ज़िला पंचायत द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र नीलकंठ के सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता इत्यादि समतुल्य सेवाओं के अनुरक्षण हेतु शुल्क आरोपण एवं वसूली सम्बन्धी कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के निमित्त उपविधि बनाई गई (जुलाई 2015)।इसके अंतर्गत ज़िला पंचायत वाहन पार्किंग के आसपास पक्की दुकानों के किराए के नियंत्रण एवं वसूली तथा व्यवस्था शुल्क के रूप में वाहनों से शुल्क वसूलने की व्यवस्था की गई थी। प्रति वाहन का शुल्क निम्न रूप में निर्धारित था:

(i) दोपहिया वाहन: ` 5, (ii)पाँच सीट तक: ` 20 (iii) छः से 10 सीट तक: ` 30 एवं (iv) 11 सीट से अधिक: ` 50

उपरोक्त उपविधि को क्रियान्वित किए जाने हेतु नवम्बर 2015 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके अनुसार जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक व्यवस्था शुल्क हेतु बैरियर लगाए जाने हेतु सीलबंद निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा सूचना के अनुसार उच्चतम निविदादाता को 50 *प्रतिशत* धनराशि जमा करना था तथा शेष राशि चार समान किश्तों में दिसम्बर 2016 से पूर्व जमा करना था। इसी अनुक्रम में प्राप्त निविदा प्रपत्रों की जांच में पाया गया कि प्राप्त छः निविदाओं के आधार पर कार्य का आवंटन उच्चतम निविदादाता को किया गया था, जिसकी कुल बोली ` 30.31 लाख थी। इस निविदादाता के साथ गठित अनुबंध में निम्नलिखित मुख्य शर्तें थीं:

1. कुल बोली की लागत का 50 *प्रतिशत* जमा करने के उपरांत शेष राशि चार किश्तों में दिनांक 31.05.2016, 30.09.2016, 31.12.2016 एवं 28.02.2017 तक जमा करना था।
2. किसी भी दशा में ठेका/ लाइसेन्स का हस्तांतरण/ सबलेटिंग नहीं करना था।

ज़िला पंचायत द्वारा जारी आदेश में प्रावधानित था कि ` 500 के सामान्य स्टाम्प पेपर पर ठेका शुल्क कार्य हेतु अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना था जबकि शासकीय व्यवस्था के अनुसार उक्त अनुबंध, कुल राशि के दो *प्रतिशत* के बराबर धनराशि के स्टाम्प पेपर पर किया जाना था, जिसे नहीं किया गया जिससे राजस्व की हानि हुई। आगे, देखा गया कि अनुबंध की शर्त के विरुद्ध कार्य को सम्पादित करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से सबलेटिंग था क्योंकि ठेकेदार ऋषिकेश के ही रहने वाले हैं, इस दशा में प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था। ठेकेदार द्वारा मई एवं सितम्बर की दो किश्तें ` 7.58 लाख अक्टूबर 2016 तक जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार व्यवस्था शुल्क लागू करने सम्बन्धी प्रक्रिया में आवंटन सम्बन्धी अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न करने,इसकी सबलेटिंग तथा अनुबंध गठन हेतु कम राशि के स्टाम्प पेपर लगाने से शासकीय राजस्व को क्षति हुई।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि किश्तों को जमा करने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन के सम्बंध में बताया गया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था, जिससे कि राजस्व क्षति से बचा जा सके।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 4:- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत धनराशि के आवंटन के दिशानिर्देशों के विपरीत ` 135.94 लाख का रिवाल्विंग फंड में स्थानांतरण किया जाना एवं उपभोग प्रमाण पत्र का प्रमाण न किया जना।

तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड की संस्तुतियों के आधार पर ज़िला पंचायत को राज्य वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशियों की स्वीकृति दी गई थी:

- संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों एवं पेंशन पर व्यय की जाएगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों) को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जाएगी।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्यक्ष, ज़िला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायती राज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग-1) तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जाएगा।

इकाई के आय-व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों एवं पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि ज़िला पंचायत द्वारा दिनांक 29.03.2016 को आहूत की गई बैठक में, प्राप्त राशि से वेतन एवं भत्तों का भुगतान, विकास कार्यों पर व्यय एवं आवंटित राशि के 10.62 *प्रतिशत* को रिवाल्विंग फंड में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित एवं स्वीकृत किया गया था। राज्य वित्त आयोग निधि के अंतर्गत स्वीकृति एवं रिवाल्विंग फंड में स्थानांतरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण की निर्धारित तिथि का विवरण निम्नवत था:

(धनराशि ` लाख में)

किश्त की संख्या	स्वीकृत राशि	वेतन मद हेतु राशि	रिवाल्विंग फंड	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण की अपेक्षित/ निर्धारित तिथि
I	244.38	40.00	25.95	30.06.2015
II	244.38	40.00	25.95	30.09.2015
III	244.38	40.00	25.95	31.12.2015
IV	244.38	40.00	25.95	31.03.2016
V	302.64	40.00	32.14	31.03.2016
योग	**1,280.16**	**200.00**	**135.94**	

आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न तो रिवाल्विंग फंड में स्थानांतरित राशि ` 135.94 लाख के उपयोग से संबंधी कोई दस्तावेज़ पत्रावली में उपलब्ध था एवं न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण से संबन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि रिवाल्विंग फंड की धनराशि निदेशालय में ज़िला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाता है एवं इसका रख-रखाव निदेशालय स्तर पर ही किया जाता है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य वित्त की धनराशि को रिवाल्विंग फंड में स्थानांतरित करने के प्रावधान का उल्लेख शासनादेश में नहीं था तथा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रेषित किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **जिला पंचायत, पौडी गढवाल,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0